आरबीआई/2024-25/18

विवि.एसटीआर.आरईसी.13 /13.03.00/2024-25 15 अप्रैल 2024

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, भुगतान बैंक के अतिरिक्त)

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)

ऋणों और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

कृपया दिनांक 22 जनवरी 2015 के 'बैंकों द्वारा सूचना का प्रदर्शन' पर परिपत्र के पैराग्राफ 2; दिनांक 14 मार्च, 2022 के 'माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए विनियामक रूपरेखा' पर मास्टर दिशानिर्देश के पैराग्राफ 6; और दिनांक 2 सितंबर, 2022 के 'डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 5 में निहित मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) और वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) के प्रकटीकरण पर हमारे अनुदेशों का संदर्भ लें।

2. जैसा कि दिनांक 8 फरवरी 2024 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी, इस विषय पर निर्देशों को सुसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। यह विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे वित्तीय उत्पादों पर पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना विषमता को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि उधारकर्ताओं को सूचना द्वारा वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा विस्तारित सभी खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋण उत्पादों के मामलों में सामंजस्यपूर्ण निर्देश लागू होंगे।

3. इस परिपत्र के प्रयोजन हेतु, निम्नलिखित शर्तों को परिभाषित किया गया है:

(ए) आरई/आरई के समूह और उधारकर्ता के बीच ऋण करार के **मुख्य तथ्य** कानूनी रूप से महत्वपूर्ण और निर्धारणात्मक तथ्य हैं जो उधारकर्ता को एक सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करने के लिए आवश्यक मूलभूत जानकारी पूरा करते हैं।

(बी) **मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)** सरल और समझने में आसान भाषा में ऋण करार के मुख्य तथ्यों का एक विवरण है, जो उधारकर्ता को एक मानकीकृत प्रारूप में प्रदान किया जाता है।

(सी) **वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर)** उधारकर्ता के लिए ऋण की वार्षिक लागत है जिसमें ब्याज दर और क्रेडिट सुविधा से जुड़े अन्य सभी शुल्क शामिल हैं।

(डी) **समान आवधिक किश्त (ईपीआई)** पुनर्भुगतान की समान अथवा निश्चित राशि है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों घटक शामिल होते हैं, जो उधारकर्ता द्वारा ऐसे अंतरालों की एक निश्चित संख्या के लिए आवधिक अंतराल पर ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भुगतान किया जाता है; और जिसके परिणामस्वरूप ऋण का पूर्ण परिशोधन होता है। मासिक अंतराल पर ईपीआई को ईएमआई कहा जाता है।

उपरोक्त में जो अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस परिपत्र में उपयोग किया गया है, उनका वही आशय होगा जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अद्यतन किए गए अग्रिमों पर ब्याज दर के मास्टर निदेश (2016) अथवा जारी किसी अन्य उपयुक्त विनियमन के अंतर्गत है।

4. अनुबंध ए में दिए गए मानकीकृत प्रारूप के अनुसार, आरई सभी संभावित उधारकर्ताओं को ऋण संविदा निष्पादित करने से पहले एक सूचित दृष्टिकोण में सहायता हेतु केएफएस प्रदान करेगा। केएफएस ऐसे उधारकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा। केएफएस की विषय-वस्तु उधारकर्ता को समझायी जाएगी और पावती प्राप्त की जाएगी कि उसने इसे समझ लिया है।

5. इसके अतिरिक्त, केएफएस को एक अद्वितीय प्रस्ताव संख्या प्रदान की जाएगी और सात दिन अथवा उससे अधिक की अवधि वाले ऋणों के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की वैधता अवधि होगी और सात दिनों से कम अवधि वाले ऋणों के लिए एक कार्य दिवस की वैधता अवधि होगी।[1]

स्पष्टीकरण

---

[1] केएफएस की वैधता अवधि से संबंधित शर्त को देखते हुए, मंजूरी के बाद कूलिंग-ऑफ अवधि के लिए अनिवार्य न्यूनतम दिनों से संबंधित 'डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश' के पैराग्राफ 8 का प्रावधान, निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित माना जाएगा:

> *"इस अवधि के दौरान उधारकर्ता को बिना किसी जुर्माने के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। कूलिंग ऑफ अवधि आरई के बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि निर्धारित अवधि एक दिन से कम न हो। लुक-अप अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ताओं के लिए, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-भुगतान की अनुमति जारी रहेगी"।*

"

वैधता अवधि से आशय आरई द्वारा केएफएस प्रदान किए जाने के उपरांत ऋण की शर्तों से सहमत होने के लिए उधारकर्ता को उपलब्ध अवधि से है। यदि वैधता अवधि के दौरान उधारकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, तो आरई केएफएस में दर्शाए गए ऋण की शर्तों से बाध्य होगा।

6. केएफएस में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना शीट और ऋण अवधि के दौरान ऋण का परिशोधन कार्यक्रम भी शामिल होगा। एपीआर में वे सभी शुल्क शामिल होंगे जो आरई द्वारा लगाए जाते हैं। एपीआर की गणना और काल्पनिक ऋण के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची के प्रकटीकरण के उदाहरण **क्रमशः** अनुबंध बी **और** सी में दिए गए हैं।

7. वास्तविक आधार पर तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से आरई द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले गए शुल्क, जैसे बीमा शुल्क, कानूनी शुल्क आदि भी एपीआर का हिस्सा होंगे और उनका प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा। सभी मामलों में जहां आरई ऐसे शुल्कों की वसूली में शामिल है, उचित समय के भीतर प्रत्येक भुगतान के लिए उधारकर्ता को रसीदें और संबंधित दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे।

8. कोई भी ऐसा शुल्क, प्रभार, आदि जिसका उल्लेख केएफएस में नहीं किया गया है, उसके लिए उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति के बिना, ऋण की अवधि के दौरान किसी भी चरण में आरई द्वारा उधारकर्ता से शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

9. केएफएस को ऋण करार के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किए जाने वाले सारांश बॉक्स के रूप में भी शामिल किया जाएगा।

छूट

10. क्रेडिट कार्ड प्राप्य को इस परिपत्र के अंतर्गत निहित प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रयोज्यता एवं प्रारंभ

11. आरई द्वारा उपर्युक्त दिशानिर्देशों को यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी। किसी भी स्थिति में, 01 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके बाद स्वीकृत सभी नए खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋण, जिसमें विद्यमान ग्राहकों को दिए गए नए ऋण भी शामिल हैं, बिना किसी अपवाद के उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। अंतराल के दौरान, विद्यमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत 'केएफएस/फैक्टशीट' पर प्रासंगिक प्रावधान लागू रहेंगे, जिनमें

'डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश', 'माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए विनियामक ढांचे' पर जारी मास्टर दिशानिर्देश और 'बैंकों द्वारा सूचना का प्रदर्शन' पर परिपत्र शामिल हैं।

कानूनी प्रावधान

12. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, 35ए और 56, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेए, 45एल और 45एम और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए और 32 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

निरसन

13. इन दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित परिपत्रों में शामिल अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं।

सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	डीबीआर. एलईजी. नं. बीसी. 64/ 09. 07.005/ 2014-15	22 जनवरी 2015	बैंकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करने से संबन्धित जारी परिपत्र का पैरा 2 (बी)।
2.	डीओआर.एफआईएन.आरईसी.95/ 03.10.038/ 2021-22	14 मार्च 2022	मास्टर निदेश के पैरा 6.3, 6.4 और 6.5 - भारतीय रिज़र्व बैंक (माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए विनियामक ढांचा) दिशानिर्देश, 2022
3.	डीओआर.सीआरई.आरईसी.66/21. 07.001/ 2022-23	02 सितम्बर 2022	डिजिटल ऋण पर जारी दिशानिर्देशों का पैरा 5.1, 5.2

सभी निरस्त परिपत्र/प्रावधान इन निर्देशों के प्रभावी होने से पहले, प्रासंगिक अवधि के दौरान लागू माने जाएंगे।

भवदीय,

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)

अनुबंध ए

मुख्य तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या**		**ऋण का प्रकार**	
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**			
3	**संवितरण अनुसूची** (i) 100% अग्रिम या चरणों में संवितरण। (ii) यदि यह चरणवार है, तो प्रासंगिक विवरण वाले ऋण करार के खंड का उल्लेख करें			
4	**ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)**			
5	**किश्त विवरण**			

किश्तों का प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	पुनर्भुगतान की शुरूआत, मंजूरी के बाद

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (स्थायी या अस्थायी या हाइब्रिड)**	
7	**अस्थायी ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

संदर्भ बेंचमार्क	बेंचमार्क दर (%) (बी)	स्प्रेड (%) (एस)	अंतिम दर (%) आर = (बी) + (एस)	रीसेट आवधिकता[2] (महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('आर' में 25 बीपीएस परिवर्तन के लिए, निम्न में परिवर्तन [3])	
				बी	एस	ईपीआई(₹)	ईपीआई की संख्या

8	**शुल्क/प्रभार [4]**				
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से तृतीय पक्ष को देय	
		एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो[5]	एक बार/आवर्ती	राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जो लागू हो [5]
(i)	प्रसंस्करण शुल्क				
(ii)	बीमा शुल्क				
(iii)	मूल्यांकन शुल्क				
(iv)	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)				

9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)[6]**	
10	**आकस्मिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**	
(i)	विलंबित भुगतान के मामले में दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो	

[2] क्रेडिट प्रोफ़ाइल में परिवर्तन के अलावा, स्थायी रीसेट

[3] कृपया 18 अगस्त 2023 के परिपत्र 'समान मासिक किश्तों (ईएमआई) पर आधारित व्यक्तिगत ऋण पर अस्थायी ब्याज दर का रीसेट' का संदर्भ लें।

[4] आरई निवल राशि का खुलासा जीएसटी जैसे किसी भी कर को शामिल किए बिना कर सकते हैं

[5] आवृत्ति का उल्लेख करें, जहां आवर्ती हो

[6] कृपया अनुबंध बी में दिए गए उदाहरण का संदर्भ लें

(ii)	अन्य दंडात्मक प्रभार, यदि कोई हो	
(iii)	पुरोबंधात्मक शुल्क, यदि लागू हो	
(iv)	ऋणों को अस्थायी से स्थायी दर में बदलने और इसके विपरीत करने के लिए शुल्क	
(v)	कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)	

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण करार का खंड</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">शिकायत निवारण तंत्र का विवरण संबंधी ऋण करार का खंड</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी [7]</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">क्या ऋण अन्य आरई को अंतरित करने या प्रतिभूतिकरण के अधीन है, या भविष्य में हो सकता है (हां/नहीं)</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था (उदाहरण के लिए, सह-उधार/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जाएं :</td></tr>
<tr><td colspan="2">मूल आरई का नाम और उसका वित्त पोषण अनुपात</td><td>भागीदार आरई का नाम और उसका वित्त पोषण अनुपात</td><td>मिश्रित ब्याज दर</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जाएं:</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td colspan="2">आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण</td><td></td></tr>
</table>

[7] आरई जेनेरिक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, बशर्ते जवाब एक कार्य दिवस के भीतर दिया जाए

अनुबंध बी

खुदरा और एमएसएमई ऋणों के लिए एपीआर की गणना के लिए उदाहरण

सं.क्र	मापदंड	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 2 - भाग 1)	20,000
2	ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेमप्लेट का क्रमांक 4 - भाग 1)	
ए)	गैर-समान आवधिक ऋणों के मामले में, मूलधन के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	-
बी)	ईपीआई का प्रकार प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में) और ईपीआई की संख्या (जैसे, मासिक किस्तों के मामले में ईएमआई की संख्या) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 5 - भाग 1)	मासिक 970 24
सी)	पूंजीगत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो	-
डी)	मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 5 - भाग 1)	30 days
3	ब्याज दर प्रकार (स्थायी या अस्थायी या हाइब्रिड) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	स्थायी
4	ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	15 %
5	मंजूरी तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	3,274
6	देय शुल्क/प्रभार[8] (रुपये में)	400
ए	आरई को देय (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 8ए-भाग 1)	240
बी	आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 8बी - भाग 1)	160
7	निवल संवितरित राशि (1-6) (रुपये में)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	23,274[9]
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)[10] (केएफएस टेम्पलेट का क्रम संख्या 9-भाग 1)	17.07%
10	नियम एवं शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची	विस्तृत कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा
11	किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तारीख	DDMMYYYY

[8] जहां ऐसे प्रभार मंजूरी से पहले निर्धारित नहीं किए जा सकते, वहाँ आरई ऊपरी सीमा का संकेत दे सकते हैं

[9] विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किस्तों की कुल राशि से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर, अर्थात, ₹23,280 (=970*24) की तुलना में ₹23,274 (₹20,000 (ऋण राशि) + ₹3,274 (ब्याज शुल्क) की राशि, (8) के तहत उल्लिखित विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत ₹969.73 की किस्त राशि को ₹970 तक पूर्णांकित करने के कारण है

[10] आईआरआर दृष्टिकोण और घटती शेष विधि का उपयोग करके निवल संवितरित राशि की गणना की जाती है

अनुबंध सी

परिशिष्ट बी में दर्शाए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किश्त के तहत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

किश्त संख्या	बकाया मूलधन (रुपये में)	मूलधन (रुपये में)	ब्याज (रुपये में))	किश्त (रुपये में)
1	20,000	720	250	970
2	19,280	729	241	970
3	18,552	738	232	970
4	17,814	747	223	970
5	17,067	756	213	970
6	16,310	766	204	970
7	15,544	775	194	970
8	14,769	785	185	970
9	13,984	795	175	970
10	13,189	805	165	970
11	12,384	815	155	970
12	11,569	825	145	970
13	10,744	835	134	970
14	9,909	846	124	970
15	9,063	856	113	970
16	8,206	867	103	970
17	7,339	878	92	970
18	6,461	889	81	970
19	5,572	900	70	970
20	4,672	911	58	970
21	3,761	923	47	970
22	2,838	934	35	970
23	1,904	946	24	970
24	958	958	12	970